न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, वैर (जि. भरतपुर)

[पीठासीन अधिकारी – गंगाधर मीना, (आर.ए.एस)]

प्रकरण संख्याः– 41/16 दर्ज दिनांक 28.04.2016

1.माधोसिंह पुत्र भीमसिंह जाति गूजर तहसील वैर जिला भरतपुर।
2.मोतीसिंह पुत्र भीमसिंह जाति गूजर तहसील वैर जिला भरतपुर।
3.बच्चूसिंह पुत्र भीमसिंह जाति गूजर तहसील वैर जिला भरतपुर।
4.साहबसिंह पुत्र भीमसिंह जाति गूजर तहसील वैर जिला भरतपुर।
5.गुटयारीसिंह पुत्र भीमसिंह जाति गूजर तहसील वैर जिला भरतपुर।
6.रामकुमार पुत्र भीमसिंह जाति गूजर तहसील वैर जिला भरतपुर।
7.राधे पुत्र भीमसिंह जाति गूजर तहसील वैर जिला भरतपुर।
8.जगदीश पुत्र भीमसिंह जाति गूजर तहसील वैर जिला भरतपुर।
9.फूलसिंह पुत्र भीमसिंह जाति गूजर तहसील वैर जिला भरतपुर।
10.फूलवती पुत्री भीमसिंह पत्नि संतराम जाति गूजर निवासी छौंकरवाडा खुर्द तहसील भुसावर।
11.वीरवती पुत्री भीमसिंह पत्नि रामकुंवर जाति गूजर निवासी छौंकरवाडा खुर्द तहसील भुसावर।

————प्रार्थीगण

बनाम

1.रनजीत पुत्र रामचरन जाति जाटव निवासी मौलोनी तहसील वैर।
2.जीवन पुत्र खिल्लू जाति जाटव निवासी मौलोनी तहसील वैर।
3.बाबू पुत्र खिल्लू जाति जाटव निवासी मौलोनी तहसील वैर।
4.रामसहाय पुत्र सोहनलाल कोली निवासी पाडला तहसील टोडाभीम जिला करौली (मृतक)
4/1 महेश पुत्र रामसहाय जाति कोली निवासी पाडला तहसील टोडाभीम जिला करौली।
4/2 जीतो दत्तक पुत्र भम्बल जाति कोली निवासी पाडला तहसील टोडाभीम जिला करौली।
4/3 रामौती पत्नी हप्पू जाति कोली निवासी पाडला तहसील टोडाभीम जिला करौली।
4/4 प्रेमचन्द पुत्र हप्पू जाति कोली निवासी पाडला तहसील टोडाभीम जिला करौली।
4/5 नीरज पुत्र हप्पू जाति कोली निवासी पाडला तहसील टोडाभीम जिला करौली।
4/6 राजेश पुत्र हप्पू जाति कोली निवासी पाडला तहसील टोडाभीम जिला करौली।
4/7 लोकेश पुत्र हप्पू जाति कोली निवासी पाडला तहसील टोडाभीम जिला करौली।
4/8 आशा पुत्री हप्पू जाति कोली निवासी पाडला तहसील टोडाभीम जिला करौली।
4/9 रूपन पुत्री हप्पू जाति कोली निवासी पाडला तहसील टोडाभीम जिला करौली।
4/10 गुड्डी पुत्री हप्पू जाति कोली निवासी पाडला तहसील टोडाभीम जिला करौली।
5. विरमादेवी पत्नी मंगलराम जाति कोली निवासी हरसाना तहसील लक्ष्मनगढ जिला अलवर।

————अप्रार्थीगण

उपस्थितः– प्रार्थीगण अधिवक्ता :– 1 लगा 09 व 11 की ओर से श्री राजेश सैनी
एवं 10 की ओर से अशोक सैनी।
अप्रार्थीगण अधिवक्ता :– श्री मानसिंह धाकड।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट

उपखण्ड अधिकारी
वैर (भरतपुर)

निर्णय दिनांक 13.05.2026

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 आरटीएक्ट अप्रार्थीगण के विरूद्व पेश किया है कि प्रार्थीगण आराजी खसरा नम्बर 381 रकबा 3 बीघा 19 विस्वा वाके ग्राम मौलोनी तहसील वैर के समभाग के खातेदार काश्तकार काबिज आराजी है। विवादित आराजी पुश्तैनी मिलकियत एवं खुदकाश्त की आराजी रही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1959 के प्रभाव में आने के समय वादीगण सायल के पिता स्वर्गीय भीमसिंह कि खुदकाश्त में रही है। इस प्रकार उनके मरोणोपरान्त प्रार्थी समभाग के खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए है। विवादित आराजी से अप्रार्थीगण का कोई संबंध सरोकर नही रहा है व नही है। लेकिन अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 के पूर्वज चिरमोली पुत्र नानगा का राजस्व कर्मचारियों की गलती से इंतकाल संख्या 154 दिनांक 26.03.64 के द्वारा उक्त आराजी पर गैरखातेदार काश्तकार अंकित कर दिया है। कोई पट्टा चिरमोली को जारी नही हुआ है। गलत इन्द्राजी के कारण नाजायज लाभ उठाते हुए अप्रार्थी संख्या 3 बाबू ने अपना हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 2 जीवन ने अपना हिस्सा दिनांक 26.03.2002 को अप्रार्थी संख्या 4 के हक में नाजायज विक्रय कर दिया है। दिनांक 13.12.2015 को अप्रार्थी संख्या 2 ने शेष अपने निहित हिस्से को अप्रार्थी संख्या 5 के हक में विक्रयपत्र करा दिया। वादीगण सायल के विरूद्व उक्त विक्रयपत्र शून्य व निष्प्रभावी है। दिनांक 28.02.2026 को अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण को धमकी दी है। अप्रार्थीगण अपनी उक्त धमकी में सफल हो गये तो प्रार्थीगण को भारी क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति नही हो सकेगी। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित है। प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण 1 लगायत 5 द्वारा अपना जबाव प्रार्थना पत्र दिनांक 17.12.2019 को पेश कर प्रार्थना पत्र की अधिकांश मदो को अस्वीकार कर वर्णन किया है कि विवादित आराजीयात से संबंधित एक दावा कब्जा वापिसी माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रतिवादीगण की अपील में चल रहा है। प्रतिवादी संख्या 4 व 5 ने वादपत्र में वर्णित विक्रयपत्रों के जरिये आराजी खरीद की है, जिसके अनुसार कब्जा प्राप्त किया है तथा उसी अनुसार खातेदारी अधिकार प्राप्त किये। धारा 42 आरटीएक्ट के तहत हम अनुसूचित जाति की आराजी की खातेदारी की सवर्ण गूजर ओ.बी.सी. जाति में नही जा सकती और कानूनी रूप से बाहर है। उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को जबरन तंग व परेशान करने की नीयत से व जबरन आराजी हडपने की नीयत से पेश किया है। जिसमें कभी भी खातेदारी अधिकार धारा 42 आरटीएक्ट के होते हुए वादीगण के द्वारा प्राप्त नही किये जा सकते। तथा विक्रय पत्र दिनांक 26.03.2002 को नल एण्ड वोईड कराया जाना अबधि बाहर होने के कारण खारिज योग्य है। और विक्रय पत्र दिनांक 23.12.2015 सहित विक्रय पत्रों को केवल सिविल कोर्ट ही नल एण्ड बोईड कर सकती है। इस प्रकार विक्रय पत्रों से संम्बन्धित मामला राजस्व न्यायालय सुनने का अधिकार नही रखती है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज करने का निवेदन किया।

हमने विद्वान अभिभाषकगणों को सुना। विद्वान अभिभाषकगणों को सुनने के उपरान्त पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2011–2014, 2016–19, 2071–74 आदि का गहनता से अवलोकन किया। चूंकि विवादित आराजीयात बावत् अधिकारो का निर्धारण होना है। जो मूल वाद के तनकीयात कायम होने पर वक्त निर्णय साक्ष्य के आधार पर तय किए जावेंगे। ऐसी स्थिति में विवादित आराजीयात बावत् पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार का विवाद पैदा नहीं हो, विवादित आराजीयात बाबत् अप्रार्थीगण को मूल वाद के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराना न्यायोचित है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
वैर (भरतपुर)

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता हैं अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि ग्राम मौलोनी तहसील वैर जिला भरतपुर में स्थित आराजी खसरा नम्बरान 381 रकबा 3 वीघा 19 विस्वा मूल वाद के निर्णय तक वादीगण सायलान के आधिपत्य में कोई हस्तक्षेप नही करे तथा आराजी मुतदाविया का अन्यत्र किसी भी प्रकार से हस्तान्तरण नही करें तथा वादीगण सायलान को काश्त करने में कोई अवरोध पैदा नही करें। जारी शुदा अस्थाई निषेधाज्ञा किसी भी खातेदार/पक्षकार को रहन बाबत् निष्प्रभावी रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 13.05.26 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गंगाधर मीणा आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड
अधिकारी, वैर (भरतपुर)।